संख्या:- 34/2024/1607/78-1-2024-202/2023

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
ऊर्जा विभाग, औद्योगिक विकास विभाग एवं
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 04 अक्टूबर, 2024

विषयः- उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0जनित सेवा (आईटी/आईटीईएस) क्षेत्र को ''उद्योग'' का दर्जा प्रदान किया जाना।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार आगामी 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था अर्जित करने के मार्ग पर अग्रसर है तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0 जनित सेवा को एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

2. पिछले कुछ वर्षों में, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0जनित सेवा क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में एक उदीयमान क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है और उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के आईटी हब के रूप में जाना जाता है, जो देश में सॉफ्टवेयर निर्यात मे छठवें स्थान पर है। सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवाओं से सम्बन्धित कार्य एवं सेवायें सम्मिलित हैं, जिनकी विस्तृत सूची **अनुलग्नक-1** पर संलग्न है।

3. अतएव सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0जनित सेवा क्षेत्र को तात्कालिक प्रभाव से ''उद्योग'' का दर्जा प्रदान करते हुए तद्नुसार सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0जनित सेवा (आईटी/आईटीईएस) क्षेत्र की कम्पनियों को निम्नानुसार सुविधाओं की अनुमन्यता प्रदान करते है:-

(1) आवासीय विकास प्राधिकरणों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में औद्योगिक श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत भूमि को सूचना प्रौद्योगिकी एवं

सू0प्रौ0जनित सेवा क्षेत्र की कम्पनियों को औद्योगिक दर पर उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0जनित सेवा क्षेत्र की नई/कार्यशील इकाइयों, जिनका न्यूनतम लोड 150 KW है, को औद्योगिक दरों पर विद्युत उपलब्ध कराई जायेगी।

4. कृपया उपरोक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Anil Kumar Sagar
Date: 04-10-2024 16:08:11

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव

संख्या:- 34/2024/1607(1)/78-1-2024-202/2023 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को/श्रीट्रान इण्डिया लि0/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल, लखनऊ।
5. निदेशक, विद्युत सुरक्षा, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
7. गोपन अनुभाग-1 को उनके पत्र संख्या:-4/2/9/2024-सी0एक्स(1), दिनांक 01-10-2024 के संदर्भ में।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Neha Jain
Date: 04-10-2024 16:38:11

(नेहा जैन)
विशेष सचिव